



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को क्रमशः 12 वर्ष व 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 36,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1118/2013 धारा-363,366,370,376, भा0द0सं0 व 06, 16/17 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.दिनेश उर्फ भईयालाल उर्फ आजाद पुत्र रामबाबू श्रीवास नि0-म0नं0-142 धोबिन पुलिया नौबस्ता, थाना नौबस्ता कानपुर नगर को धारा-363,366,376, भा0द0सं0 व 06 पोक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये 12 वर्ष के कठोर कारावास व 23,000/-रु0 2.वीरेन्द्र पुत्र बसन्त लाल प्रजापति नि0-इगोहटा, थाना सुमेरपुर हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए धारा-363,366, भा0द0सं0 व 17 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 13000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 जगदेव प्रसाद



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
हे0का0 ज्ञानेन्द्र